न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)
:: आदेश ::

क्रमांकः— 46/अ—59/2017—18/2241 बैतूल दिनांक 5/8 /2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, सरपंच ग्राम पंचायत मण्डईखुर्द जनपद पंचायत बैतूल द्वारा, ग्राम मण्डईखुर्द में स्थित चरनोई की भूमि खसरा नंबर 103, 104, एवं 105 में निवासरत् परिवारो को आवासीय पट्टे प्रदान करने के लिए उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि को आबादी घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

2— ग्राम पंचायत मण्डईखुर्द के उक्त प्रस्ताव पर नायब तहसीलदार बैतूल (खेड़ीसॉवलीगढ़ वृत्त) बैतूल द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:—

(1)— मौजा मण्डईखुर्द तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 103, 104, 105 कुल रकबा 1.380 हेक्टेयर मद चरनोई में से 0.851 हेक्टेयर की नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उदघोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)— दिनांक 15—8—2017 को आयोजित ग्राम सभा मे मौजा मण्डईखुर्द तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 103, 104 एवं 105 मद चरनोई को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

(3)— राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017—18 के अनुसार मौजा मण्डईखुर्द तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 103 रकबा 0.405 हेक्टेयर, खसरा नंबर 104 रकबा 0.041 हेक्टेयर, तथा खसरा नंबर 105 रकबा 0.934 हेक्टेयर भूमि चरनोई मद मे दर्ज है, अधिकार अभिलेख वर्ष 1968—69 के अनुसार उक्त सभी खसरा नंबर घॉस मद में दर्ज है।

(4)— प्रकरण में अंकित नायब तहसीलदार बैतूल के प्रतिवेदन के अनुसार मौजा मण्डईखुर्द का मकबूजा रकबा 518.044 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 65.923 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से ग्राम में चरनोई का न्यूनतम रकबा 10.360 हेक्टेयर उपलब्ध होना अनिवार्य है। ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा, मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत से अधिक है।

(5)— उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर नायब तहसीलदार बैतूल (खेड़ीसॉवलीगढ़ वृत्त) /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल द्वारा मौजा खेड़ीसॉवलीगढ़ तहसील बैतूल स्थित चरनोई मद के खसरा नंबर 103 रकबा 0.405 हेक्टेयर, खसरा नंबर 104 रकबा 0.041 हेक्टेयर को तथा खसरा नंबर 105 रकबा 0.934 में से 0.405 हेक्टेयर (कुल 0.851 हेक्टेयर) भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3— मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की 237 की उपधारा— (3) के अनुसार चारागाह, घॉस, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गो, नहरो, तालाबो, अस्पतालो, विद्यालयो, महाविद्यालयो, गौशालाओ, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओ के लिए व्यवपर्तित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक— 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8—11—2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः— 2489 दिनांक 25—2—2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता

1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4— प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, नायब तहसीलदार बैतूल (खेड़ीसॉवलीगढ़ वृत्त) /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा मण्डईखुर्द प. ह. नं. 17 तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 103 रकबा 0.405 हेक्टेयर, खसरा नंबर 104 रकबा 0.041 हेक्टेयर को तथा खसरा नंबर 105 रकबा 0.934 मद चरनोई में से 0.405 हेक्टेयर जिसे नक्शे में लालस्याही से चिन्हित किया गया है, (कुल 0.851 हेक्टेयर) भूमि को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.

पृ0क्र0:—46/अ—59/2017—18/2241 बैतूल दिनांक 5/3/2018

प्रतिलिपिः—

1— अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल की ओर सूचनार्थ।

2— नायब तहसीलदार बैतूल (खेड़ीसॉवलीगढ़ वृत्त) ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

3— जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

4— जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

5— सचिव ग्राम पंचायत मण्डईखुर्द जनपद पंचायत बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.